जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/प्रशा0/स्था0/2021/4073 दिनांक : 31-5-2021

// कार्यालयीन आदेश //

विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/अधिकारी/अधीक्षकों को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक एफ 11-09/2020/1-9 भोपाल दिनांक 30.05.2021 के द्वारा विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं/विभागों में कार्यालयीन कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में जारी निम्न दिशा निर्देशों का पालन करते हुये जीवाजी विश्वविद्यालय के समस्त कार्यालयीन कार्य प्रारम्भ किये जावेंगे :-

1. समस्त विभागों में अधिकारियों की उपस्थिति शत् प्रतिशत होगी।
2. परीक्षा/गोपनीय/नियंत्रण कक्ष तथा आई.टी. विभाग अत्यावश्यक सेवाओं में सम्मिलित है। अतः इसमें कार्यरत कर्मचारी शत् प्रतिशत उपस्थित रहेंगे।
3. अध्ययनशालाओं/विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी इसका निर्धारण संबंधित विभागाध्यक्ष/अधिकारी द्वारा रोटेशन के अनुसार किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी दूरभाष पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारी संबंधित कर्मचारियों की सूची बनाकर (कर्मचारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर के साथ) प्रशासन विभाग में तत्काल भेजने की व्यवस्था करेंगे।
4. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक कार्यालय को नियमित रूप से सेनेटाईज किया जावे।
5. कार्यालय में आने वाले समस्त अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों से आपेक्षित है कि वे कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में निर्धारित मापदंडों का कढ़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
6. विश्वविद्यालय कार्यालय में छात्र/छात्राओं एवं आम व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों का पालन किया जावेगा।

उक्त आदेश 01 जून 2021 से प्रभावशील होंगे।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/अधिकारी/कर्मचारी, जी0वि0वि0,ग्वालियर।
2. समस्त विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
3. जनसंपर्क अधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
4. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
5. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।
7. संबंधित पत्रावली हेतु।

उप-कुलसचिव(प्रशासन)